सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
443/2017	प्रा0पत्र 86 LRA	10.10.2017	02.01.2018

1. मोहनीदेवी पत्नी हुणताराम
2. शिवराम
3. लक्ष्मणराम — पि. हुणताराम — जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील चूरू जिला चूरू
4. रामचन्द्र
5. मु. कमला पुत्री हुणताराम पत्नी गोपीचन्द जाति जाट निवासी जांदवा तहसील रतनगढ
6. बिरजाराम पुत्र बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. डेडराज — पि. स्व. बलूराम
2. भागीरथ — पि. स्व. बलूराम
3. भगवानाराम पुत्र दूदाराम

जाति जाट निवासीगण ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील चूरू जिला चूरू

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–अप्रार्थीगण–

पुनर्विलोकन आवेदन हस्त धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं. 3 के पिता स्व. दूदाराम ने बादगत पुश्तैनी कृषि भूमि ख.नं. 456, 459, 274 तादादी कमशः 31.00, 36.03 7.08 किता–3 कुल तादादी 74.11 बीघा भूमि का आपसी सहमति से मौके पर माप करवा कर जुबानी तौर पर व्यावहारिक बंटवारा अपने खातेदारी अधिकारों के मुताबिक करके मौके पर सींव कायम करवा ली तथा काबिज होकर काश्त करते रहे। उक्त आपसी सहमति से किये गये जुबानी व्यावहारिक बंटवारा को मूल आवेदन सं. 191/17 अनुवानी मोहनीदेवी वगैरा बनाम डेडराज वगैरा में प्रस्तुत नजरी नक्श एनेक्जर 'ए' में हरे, पीले, गुलाबी, बैंगनी रंगों से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं.

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3 के पिता दूदाराम ने विभाजन आदेश कमांक भू–अ./2010/ दिनांक 10.01.11 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक कर बिना मौके पर माप किये ही नक्शा में तरमीम कर दी। नक्शा में तरमीम के बाद तरमीमी नक्शे कस माप मौका सूरत एवं जमाबन्दी में दर्ज रकबा के मुताबिक सही नहीं होने से मौका व रिकार्ड के माप में भिन्नता होने से प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में हल्का पटवारी द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटिवश विभाजन पश्चात् नक्शा किश्तवार में गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन दिनांक 05.04.17 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 17.05.17 तारीख पेशी नियत की गई। पत्रावली दिनांक 17.05.17 की तारीख पेशी में नहीं आई बल्कि अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण होने से पहले ही पत्रावली कैम्प खासौली में दिनांक 25.05.17 को सीधे ही बिना प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सूचित किये ही रख ली गई। उक्त कैम्प की सूचना नहीं होने से प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता उक्त तारीख को कैम्प खासौली में उपसंजात नहीं हो सके एवं माननीय न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध आदेश जेर बहस सहवन से रही भूलवश पारित हो गया जो पठन से ही प्रथम दर्शनीय ही प्रकट होता है। इसलिए रिकॉर्ड पर स्पष्ट प्रथम दर्शनीय गलती का मार्जन पुनर्विलोकन में किया जाना कानूनन सम्भव होने से प्रार्थीगण का आवेदन हस्ब जैल विनम्र शब्दों में प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.05.17 प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सहवन से रही न्यायिक भूलवश पारित किया होने से प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से किसी भी सूरत में कायम रहने योग्य नहीं होने से काबिले अपास्त है। प्रार्थीगण का आवेदन आपसी सहमति से किये गये बंटवारा एवं मौके की कब्जा काश्त के अनुरूप पटवारी हल्का द्वारा नक्शा में सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि की दुरूस्ती संलग्न नजरी नक्शे के मुताबिक मौके पर माप कर दुरूस्त करवाने के लिये प्रस्तुत किया गया होने से धारा 136 रा.भू–रा.अधि. 1956 सपठित रा. लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्ड्स) रूल्स 1957 के तहत नक्शा किश्तवार में की गई लिपिकीय त्रुटि को संक्षिप्त कार्यवाही से दुरूस्त किया जाना कानूनन सम्भव होने से वाद की लम्बी प्रकिया से गुजरने की कतई आवश्यकता नहीं होते हुए भी माननीय न्यायालय द्वारा विधि के निर्वचन की भूल से पारित आदेश हर सूरत में पुनर्विलोकित किया जाना कानूनन सम्भव है। स्थापित विधि के मुताबिक जब अभिलेख से ही स्पष्ट मालूम होता हो कि विधि अथवा तथ्य की भूल या गलती हुई है, तो माननीय न्यायालय को स्वयं द्वारा पारित आदेश को पुनर्विलोकित किया जाने में विधि की कोई बाधा नहीं है। पत्रावली के सांगोपांग पठन से ही प्रथम दर्शनीय ही प्रकट होता है कि विधि के निर्वचन की सहवन से रही भूलवश ही आदेश जेर बहस पारित हुआ है तो न्यायहित में आदेश जेर बहस का पुनर्विलोकन किया जाकर प्रार्थीगण को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने न्याय की कोई हानि नहीं होने से आदेश जेर बहस का पुनर्विलोकन किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.17 से व्यथित होकर कोई अपील या निगरानी

उपखण्ड अधिकारी

सक्षम न्यायालय में संस्थित नहीं की गई है। उक्त तारीख पेशी का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थीगण उपसंजात नहीं हो सके तथा न ही उपसंजात होना तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने से सम्भव ही था।

आदेश जेर बहस का इल्म नहीं होने से आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत होने से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से विधि एवं न्याय की कोई हानि नहीं होगी। आवेदन हाजा जानकारी तिथि 22.09.17 से हर प्रकार से अन्दरमियाद बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया जा रहा है। दीगर वजुवात वर वक्त बहस अदालतवाला की पूर्वानुमति से अर्ज किये जावेंगे। अतः प्रार्थीगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन हाजा प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रार्थीगण का आवेदन मंजूर फरमाया जाकर वि.प्रा.प. सं. 191/17 अनुवानी मोहनीदेवी वगैरा बनाम डेडराज वगैरा में पारित आदेश दिनांक 25.05.17 को पुनर्विलोकित कर अपास्त कर न्यायहित में मामले की पूर्ण सुनवाई कर निर्णित करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की ओर से पेश पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 पर विधिवत तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये। पत्रावली में मुख्य अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही होने से पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर कैम्प खासौली में दिनांक 25.05.17 को सहवन से एकतरफा आदेश जारी किया गया है जबकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सं. 191/17 अनुवानी मोहनीदेवी वगैरा बनाम डेडराज वगैरा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ही पेश किया गया था जिसमें पटवारी हल्का द्वारा विभाजन के पश्चात् दर्ज किये गये नामान्तरण के बाद बने अभिलेख एवं मौका के वास्तविक कब्जा काश्त के रकबे में बिना मौका की माप किये सहवन से नक्शा में तरमीम करने से भिन्नता हो गई है। इसलिए सहवन से हुई उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जो धारा 136 के तहत ही आता है। उक्त प्रार्थना पत्र में जारी आदेश दिनांक 25.05.17 माननीय न्यायालय द्वारा विधि के निर्वचन में हुई सहवन की त्रुटि के कारण जारी हुआ है जो कि न्यायहित में अपास्त किया जाना विधिसम्मत है। उक्त आदेश की कोई अपील या निगरानी प्रार्थीगण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। प्रार्थीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से न्याय की कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। अतः न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रार्थीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 191/17 में जारी आदेश दिनांक 25.05.17 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना पत्र रिस्टोर किया जाकर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र संख्या 191/17 अनुवानी मोहनीदेवी वगैरा बनाम डेडराज वगैरा में दिनांक 25.05.2017 को जारी आदेश एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रमाणित नकल विभाजन आदेश दिनांक 10.01.2011, जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम रामसरा ख.नं. 274, 456, 459 तादादी क्रमशः 7.08, 31.00, 36.03 कुल तादादी 74.11 बीघा एवं प्रमाणित नकल नक्शा ख.नं. 773/456, 774/556, 775/456, 776/459, 777/459, 778/459, 779/274, 780/274, 781/274 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विभाजन आदेश दिनांक 10.01.2011 के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 890 दिनांक 17.01.2011 के द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम अभिलेख एवं नक्शा में सही रूप से दर्ज हुए हैं जिनमें प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह कथन सही प्रतीत नहीं होता कि पटवारी हल्का द्वारा विभाजन के पश्चात् अभिलेख एवं नक्शा में अंकित रकबे में भिन्नता है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम रामसरा का भी अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण सं. 1 से 5 के नाम अंकित ख.नं. 986/779, 988/779, 989/773, 991/773 तादादी क्रमशः 2.18, 0.08, 14.07, 0.03 कुल तादादी 17.16 बीघा खातेदारी में अंकित हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त रकबा पूर्व में 21.00 बीघा था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 65 गुजर जाने के कारण 3.04 बीघा कम हो गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर जाने के कारण मौका एवं अभिलेख में दर्ज रकबे में भिन्नता आ गई है जो कि नकल नक्शा दिनांक 10.02.17 के अनुसार गलत अंकित है जिसको दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में एन.एच. 65 का केवल हवाला दिया है परन्तु एन.एच. 65 से सम्बन्धित कोई अभिलेख पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस किस खसरे के किस किस हिस्से की कितनी कितनी भूमि एन.एच. 65 में अवाप्त हुई एवं किस आधार पर उक्तानुसार भूमि अवाप्त की जाकर रिकॉर्ड तैयार हुआ जबकि भूमि अवाप्ति की एक निश्चित विधिक प्रकिया है जिसमें सक्षम कार्मिकों द्वारा मौका एवं रिकार्ड की पर्याप्त जांच के बाद ही भूमि अवाप्त की जाती है तथा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भी नियमानुसार खातेदारों को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त जांच एवं विधिक प्रकिया के बाद तैयार हुए रिकार्ड में संशोधन उक्त धारा 136 के तहत कवर नहीं होता। नियमानुसार धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय भूल को ही शुद्ध किया जा सकता है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रथम दृष्टया ही उक्त धारा में कवर नहीं होना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने अपने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 में विधि के निर्वचन में सहवन से हुई भूल का तथ्य अंकित करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 25.05.17 के पुनर्विलोकन की मांग की है, प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र में उन विधिक बिन्दुओं का अभाव है जिनके आधार पर पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 में कवर नहीं होता। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि के सटीक निर्वचन के आधार पर आदेश दिनांक 25.05.17 जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती तथा न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को जारी करने में कोई भूल नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा पेश पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में आवश्यक विधिक तथ्यों का अभाव प्रथम दृष्टया ही दृष्टिगत होता है। न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन उसी स्थिति में किया जा सकता है जब न्यायालय द्वारा विधि के निर्वचन या व्याख्या में कोई भूल की गई हो या सहवन से भूल हो गई हो जबकि इस प्रकरण में उक्त तथ्य का अभाव पाया जाता है। न्यायालय ने आदेश दिनांक 25.05.17 विधि के सटीक निर्वचन के आधार पर अपने विवेक से सही रूप से जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का संशोधन या अपास्त किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता। प्रार्थीगण उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में करने हेतु स्वतन्त्र हैं। इस स्तर पर प्रार्थीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू